किसान न्याय योजना का किसानों की आय, कृषि निवेश एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव – दुर्ग विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

शोधार्थी – किरण झारिया

शोध निर्देशक – डॉ विनय शर्मा ,प्राचार्य एवं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग

संस्थान – कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 7 भिलाई दुर्ग (छ,ग)

सारांश

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्तवपूर्ण आधार है तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ में किसानों की आय एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्धेश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आंरभ किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्धेश्य किसान न्याय योजना का किसानों की कृषि आय, कृषि निवेश तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में किसानों कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, योजना से प्राप्त राशि के उपयोग, कृषि आय तथा निवेश सें संबंधित आकड़ों का संकलन किया गया है। आकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विधि का प्रयोग गया है। अध्ययन सें यह जानने का प्रयास किया गया है कि योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता किसानों की कृषि संबंधी गतिविधियों एवं निवेश में किस प्रकार सहायक रही है एवं इसका किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है।

शब्दकोष – कृषि आय, कृषि निवेश तथा आर्थिक सशक्तिकरण

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है तथा राज्य की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद राज्य के कृषि क्षेत्र को कम उत्पादकता, कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा किसानों की आर्थिक कठिनाइयों जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है। किसानों की इन समस्याओं को कम करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मई 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना (RGKNY) प्रारंभ की गई। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है।राजीव गांधी किसान न्याय योजना का महत्व इस दृष्टि से भी बढ़ जाता है कि यह किसानों को कृषि

कार्यों में होने वाली आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता किसानों की आय को बढ़ाने, कृषि गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो सकती है। इस संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कृषि विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना है, विशेष रूप से किसानों की आय में वृद्धि तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण में योजना की भूमिका का विश्लेषण करना है।

उद्देश्य

1 किसान न्याय योजना से किसानों को प्राप्त आर्थिक सहायता का अध्ययन करना ।

2 किसान न्याय योजना का किसानों की कृषि आय पर प्रभाव का विश्लेषण करना।

3 किसान न्याय योजना का किसानों के कृषि निवेश पर प्रभाव का अध्ययन करना।

4 किसान न्याय योजना का किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्थिति पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना

1 H0 किसान न्याय योजना का किसानों की कृषि आय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा।

H1 किसान न्याय योजना का किसानों की कृषि आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा।

2 H0 किसान न्याय योजना का किसानों के कृषि निवेश पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा।

H1 किसान न्याय योजना का किसानों के कृषि निवेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा।

साहित्य समीक्षा

वर्मा रोहणी (2023) ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की प्रगति और लाभार्थियों की स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन रायपुर संभाग के 351 लाभार्थी किसानों पर आधारित था, जिसमें प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावली एवं साक्षात्कार से तथा द्वितीयक आंकड़े राज्य के कृषि विभाग से प्राप्त किए गए। अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच योजना के अंतर्गत पंजीकृत क्षेत्रफल 27.01 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 33. 92 लाख हेक्टेयर हो गया तथा लाभार्थी किसानों की संख्या 18.43 लाख से बढ़कर 26.41 लाख हो गई। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार–भाटापारा जिले में लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक तथा गरियाबंद जिले में न्यूनतम पाई गई। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से यह योजना किसानों

को कृषि निवेश और उत्पादन लागत में सहायता देने में उपयोगी रही, यद्यपि किसानों की वास्तविक आय, उत्पादन तथा फसल विविधीकरण पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव के लिए अधिक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।

चौकसे लखन (2022) ने अपने शोध पत्र में कृषि क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में बताया है। कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों के सामने आने वाली आर्थिक बाधाएँ जैसे पूँजी की कमी एवं ऋण ग्रस्तता जैसे समस्याओं का अध्ययन किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र भोपाल सम्भाग एवं द्वितीयक आकडों के माध्यम सें विश्लेषण किया गया है।

सोनवानी फिरोज (2024) ने अपने शोध पत्र में कृषि विकास में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रभाव का विश्लेषण का अध्ययन किया है। यह योजना किसानों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान दिया है। इस योजना नें किसानों की औसत आय में 20 सें 25 प्रतिशत तक की वृध्दि पाई गई एवं उत्पादन लागत में कमी का एवं निवेश में बढोतरी में योगदान दिया है।

गुप्ता राकेश (2025) ने अपने शोध पत्र राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों की आय में वृध्दि एक विश्लेषाणत्मक अध्ययन में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने एवं कृषि में निवेश की वृध्दि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गुप्ता आशी (2021) ने अपने शोध पत्र रायथु बंधु योजना कें संदर्भ में कृषि निवेश योजना का अध्ययन में किसानों की स्थिति में सुधार में लिए तेंलगाना राज्य में रायथु बंधु योजना की शुरूआत किया गया। इस योजना के तहत किसानों कों फसल की मौसम की शुरूआत में किसानों वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कर्नल डी. सी. (2022) ने अपने शोध पत्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक अध्ययन में योजना के प्रति किसानों की जागरूकता का अध्ययन करना है।

प्रकाश विशालजीत (2026) ने अपने शोध पत्र छत्तीसगढ मे सरकारी कृषि योजना में किसानों की समस्या एवं कृषि योजनाओं की भूमिका कों बताया गया । छत्तीसगढ में विशेष रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रमुख योजना के रूप में किसानों के हित में बताया गया। 99.5 प्रतिशत किसान कों लाभ प्राप्त हुआ । राशि का उपयोग भूमि की खरीद, बच्चों की शि़क्षा में किया गया ।

शोध पध्दति

शोध अध्ययन क्षेत्र :– छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला का दुर्ग विकासखंड

नमूना आकार :– 100 किसान

आकडों का संकलन :– संरचित साक्षात्कार प्रश्नावली

आकडों का विश्लेषण :– आवृत्ति प्रतिशत विधि

न्यायदर्श किसानों का अध्ययन

तालिका क्रमांक 1

उत्तरदाताओं की आयु

क्र.	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	18–30 वर्ष	12	12
2	31–45 वर्ष	34	34
3	46–60 वर्ष	45	45
4	60 वर्ष से अधिक	9	09
कुल		100	100

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन के अंतर्गत शामिल उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 45 प्रतिशत किसान 46–60 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं। इसके पश्चात् 34 प्रतिशत उत्तरदाता 31–45 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल हैं। वहीं, 12 प्रतिशत उत्तरदाता 18–30 वर्ष के आयु वर्ग के हैं, जबकि 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 60 वर्ष से अधिक है।

इस प्रकार, अध्ययन में शामिल अधिकांश उत्तरदाता 46–60 वर्ष के आयु वर्ग से संबंधित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण में मध्यम एवं अधिक आयु वाले किसानों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रही है। उत्तरदाताओं का आयु–वार वर्गीकरण किसानों की आयु संबंधी संरचना को समझने में सहायक है। साथ ही, यह वर्गीकरण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रति किसानों के अनुभवों एवं आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है।

तालिका क्रमांक 2

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक योग्यता का स्तर

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अशिक्षित	16	16
2	प्राथमिक	15	15
3	माध्यमिक	20	20
4	उच्च माध्यमिक	30	30
5	स्नातक	10	10
6	स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक	9	9
कुल		**100**	**100**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 2 में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, अध्ययन में सम्मिलित कुल 100 उत्तरदाताओं में से 16 प्रतिशत अशिक्षित, 15 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षित तथा 20 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि 10 प्रतिशत स्नातक तथा 9 प्रतिशत स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षित किसानों का अनुपात सर्वाधिक (30 प्रतिशत) है, जबकि स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक शिक्षित किसानों का अनुपात न्यूनतम (9 प्रतिशत) है। वहीं, 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अशिक्षित होना अध्ययन क्षेत्र में शैक्षणिक असमानता की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार, अध्ययन क्षेत्र के किसानों की शैक्षणिक योग्यता में विविधता परिलक्षित होती है। किसानों का शैक्षणिक स्तर सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उनकी प्रक्रियाओं को समझने तथा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संदर्भ में किसानों की शैक्षणिक योग्यता का अध्ययन योजना के प्रति उनकी जागरूकता एवं लाभ प्राप्ति की स्थिति को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

तालिका क्रमांक 3

उत्तरदाताओं की जाति संरचना

क्र.	जाति संरचना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामान्य	10	10
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	72	72
3	अनुसूचित जाति	12	12
4	अनुसूचित जनजाति	6	6
कुल		**100**	**100**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 3 में उत्तरदाताओं की जाति संरचना का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में कुल 100 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, 10 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य वर्ग से संबंधित हैं, जबकि 72 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 12 तथा अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 6 है।

तालिका क्रमांक 4

उत्तरदाताओं के कृषि भूमि की स्थिति

क्र.	कृषि भूमि की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	भूमिहीन	0	00
2	1 एकड़ से कम	24	24
3	1–2 एकड़	51	51
4	2–5 एकड़	13	13
5	5 एकड़ से अधिक	12	12
कुल		**100**	**100**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 4 में अध्ययन के अंतर्गत चयनित 100 उत्तरदाताओं की कृषि भूमि की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, अध्ययन में कोई भी उत्तरदाता भूमिहीन नहीं है। कुल उत्तरदाताओं में 24 प्रतिशत किसानों के पास एक एकड़ से कम कृषि भूमि है, जबकि सर्वाधिक 51 प्रतिशत किसानों के पास 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है। इसी प्रकार, 13 प्रतिशत किसानों के पास 2 से 5 एकड़ तथा 12 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। अध्ययन क्षेत्र

में सर्वाधिक उत्तरदाता 1 से 2 एकड़ कृषि भूमि की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त, 24 प्रतिशत किसानों के पास एक एकड़ से कम भूमि है। इस प्रकार, कुल 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 2 एकड़ तक कृषि भूमि है, जो अध्ययन में शामिल किसानों के बीच छोटी जोतों की प्रमुखता को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 5

किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग

क्र.	किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बीज खरीदने में	11	11
2	उर्वरक/कीटनाशक खरीदने में	24	24
3	कृषि यंत्र खरीदने में	16	16
4	कृषि ऋण चुकाने में	31	31
5	घरेलू आवश्यकताओं में	18	18
6	अन्य	00	00
कुल		**100**	**100**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

प्रस्तुत तालिका में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता राशि के उपयोग का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में कुल 100 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, 11 प्रतिशत किसान सहायता राशि का उपयोग बीज खरीदने में करते हैं, जबकि 24 प्रतिशत किसान उर्वरक एवं कीटनाशक खरीदने में इस राशि का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार, 16 प्रतिशत किसान कृषि यंत्र खरीदने में तथा 31 प्रतिशत किसान कृषि ऋण चुकाने में प्राप्त राशि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, 18 प्रतिशत किसान इस राशि का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। अन्य मदों में राशि का उपयोग करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत शून्य है। आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं के साथ–साथ उनकी वित्तीय एवं घरेलू जरूरतों की पूर्ति में भी उपयोगी है। विशेष रूप से कृषि ऋण चुकाने में सर्वाधिक किसानों द्वारा राशि का उपयोग किया गया।

तालिका क्रमांक 6

किसान न्याय योजना के कारण कुल वार्षिक कृषि आय में अनुमानित वृद्धि

क्र.	किसान न्याय योजना के कारण कुल वार्षिक कृषि आय में अनुमानित वृद्धि	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कोई परिवर्तन नहीं	00	00
2	10% तक वृद्धि	36	36
3	11–25% वृद्धि	44	44
4	26–50% वृद्धि	18	18
5	50% से अधिक वृद्धि	02	02
कुल		**100**	**100**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 44 प्रतिशत किसानों की वार्षिक कृषि आय में 11 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके पश्चात 36 प्रतिशत किसानों की आय में 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। वहीं, 18 प्रतिशत किसानों ने 26 से 50 प्रतिशत तक तथा 2 प्रतिशत किसानों ने 50 प्रतिशत से अधिक आय वृद्धि की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि सभी उत्तरदाताओं ने किसी न किसी स्तर पर कृषि आय में वृद्धि होने की बात कही है।राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता किसानों की वार्षिक कृषि आय में सुधार से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से, 64 प्रतिशत किसानों ने 10 प्रतिशत से अधिक आय वृद्धि की जानकारी दी है। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में शामिल अधिकांश किसानों ने अपनी कृषि आय में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया है।

तालिका क्रमांक 6

किसान न्याय योजना से किसानों के कृषि में निवेश (बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि) में होने वाले परिवर्तन की स्थिति

क्र.	किसान न्याय योजना से किसानों के कृषि में निवेश में होने वाले परिवर्तन की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कोई परिवर्तन नहीं	00	00
2	10% तक वृद्धि	56	56
3	11–25% वृद्धि	37	37
4	26–50% वृद्धि	7	07
5	50% से अधिक वृद्धि	00	00
कुल		**100**	**100**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 56 प्रतिशत किसानों के कृषि निवेश में 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके पश्चात 37 प्रतिशत किसानों ने 11 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि बताई, जबकि 7 प्रतिशत किसानों ने 26 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की। इस प्रकार, अध्ययन में शामिल सभी 100 प्रतिशत किसानों ने कृषि निवेश में किसी न किसी स्तर पर वृद्धि होने की जानकारी दी है।योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषि निवेश बढ़ाने में सहायक हो सकती है। बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक जैसे कृषि आगतों पर निवेश बढ़ने से किसानों को खेती की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन जुटाने में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता सीमित कृषि भूमि पर निर्भर हैं। कुल 75 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ तक कृषि भूमि है। यह स्थिति कृषि संसाधनों की उपलब्धता तथा कृषि लागत के प्रबंधन के संदर्भ में आर्थिक सहायता के महत्त्व को रेखांकित करती है। योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग से संबंधित आँकड़ों के अनुसार, 31 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि ऋण चुकाने, 24 प्रतिशत उर्वरक एवं कीटनाशक खरीदने, 16 प्रतिशत कृषि यंत्र खरीदने तथा 11 प्रतिशत बीज खरीदने में राशि का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, 18 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि योजना की सहायता राशि कृषि संबंधी निवेश के साथ–साथ किसानों के वित्तीय दायित्वों एवं घरेलू आवश्यकताओं के प्रबंधन में भी उपयोगी है। वार्षिक कृषि आय में अनुमानित वृद्धि के संबंध में 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 11 से 25 प्रतिशत तक, 36 प्रतिशत ने 10 प्रतिशत तक, 18 प्रतिशत ने 26 से 50 प्रतिशत तक तथा 2 प्रतिशत ने 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जानकारी दी। इसी प्रकार, कृषि निवेश में 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 10 प्रतिशत तक, 37 प्रतिशत ने 11 से 25 प्रतिशत तक तथा 7 प्रतिशत ने 26 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि बताई।राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि निवेश के प्रबंधन तथा आर्थिक दायित्वों के निर्वहन में सहायक भूमिका निभा रही है। इस दृष्टि से योजना किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण सहायक पहल के रूप में परिलक्षित होती है।

सुझाव

1 किसानों को योजना के अंतर्गत देय आर्थिक सहायता निर्धारित समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे कृषि कार्यों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर सकें।

2 अध्ययन में अधिकांश किसानों के पास सीमित कृषि भूमि पाई गई है। अतः छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि सहायता एवं संबंधित सुविधाओं की प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

3 किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक तथा आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए, जिससे कृषि निवेश का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

4 अध्ययन में 31 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा सहायता राशि का उपयोग कृषि ऋण चुकाने में किया जाना ऋण संबंधी दायित्वों के महत्त्व को दर्शाता है। अतः किसानों को सुलभ संस्थागत ऋण, वित्तीय साक्षरता तथा ऋण प्रबंधन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5 किसानों को योजना की पात्रता, सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया तथा शिकायत निवारण व्यवस्था के संबंध में नियमित रूप से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि पात्र किसान योजना के लाभों से वंचित न रहें।

6 कृषि विभाग एवं कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट प्रबंधन, जल संरक्षण तथा आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1 Kumar, R., Tyagi, D. B., & Gaud, D. (2019, January). Krishi vikas mein sansthagat rin ki bhoomika . School of Agriculture, ITM University, Gwalior, Madhya Pradesh

2 Verma,R., Chandrakar, M. R., & Choudhary, V.K.,Verma, A.,singh,S.(2023).Rajiv Gandhi kisan naya yojana : Gratest initiative for farmers of Chhattisgarh. . The Pharma Innovation Journal, *12*(5), 931–934.

3 चौकसे, लखन लाल.(2022).कृषि क्षेत्र की आर्थिक समस्याएं एवं उभरती चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन(भोपल संभाग के विशेष संदर्भ में)। International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS), 4(1-III), 104–107

4 Gupta, Aashi (2021). “Agricultural Investment Scheme in Reference to the Rythu Bandhu Scheme.” International Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 10, Issue 2, pp. 54–61.

5 Sonwani, F. K. (2024). The Impact of Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana on Agricultural Development in Chhattisgarh State. Gurukul International Multidisciplinary Research Journal *(GIMRJ)*, **12**(2), 166–171.

6 Gupta, R. K., & Dubey, V. (2025). राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों की आय में वृद्धि – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. International Journal of Hindi Research, 11(4), 48–50.

7 Prakash, V., Kushwaha, R., Dwivedi, V. K., & Thomas, R. (2026). *Government agriculture scheme in Chhattisgarh: A case study***.** International Journal on Science and Technology (IJSAT), 17(1).

https://agriportal.cg.nic.in/agridept/StateScheme/Ra7iv_Gandhi_Kisan_Nyay_Yojana_Guideline_.pdf

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.